कार्यकारिणी समिति के बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

नासवी के नाम एवं पहचान को अन्य सदस्य संगठनों द्वारा उपयोग करने पर निर्णय –

- नासवी का पूरा नाम ''नेशनल एलायंस आफ स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया'' था किंतु पंजीकरण के दौरान पंजीयन विभाग ने नेशनल एलांयस शब्द पर आपत्ति की अतः पंजीयन हेतु इसका नाम ''न्यू एशोसिएशसन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी)'' कर दिया गया। अब चूँकि नेशनल एलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया का राष्ट्रीय कमिटी गठित हो रही है तो पुनः हम लोगों को नासवी के पुराने नाम के लिए, ''नेशनल एशोशिएसन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया'' (नासवी) पर पहल करना चाहिए। सभा ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया।
- **नासवी के द्वारा प्रत्येक सदस्य संगठनों को एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।**
- कार्यकारिणी मे 25 सदस्यों के अतिरिक्त अन्य उपस्थित लोगों मे से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप मे कुछ लागों को शमिल किया जाए।
- नासवी के नाम के संदर्भ में जहॉ कहीं भी लिखित प्रमाण देना हो वहॉ ''नेशनल एसोशिएयन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इण्डिया'' पंजीकृत नाम ''न्यू एसोशिएयन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इण्डिया'' का उपयोग किया जायगा।
- नासवी के नाम का प्रयोग करने से पूर्व इसकी जानकारी नासवी कार्यालय को होनी चाहिए।
- किसी भी राजनीतिक मंच पर नासवी के नाम का इस्तेमाल नहीं होगा।
- सदस्य संगठन किसी फोरम/ मंच पर आमंत्रित हो तो नासवी को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
- नासवी की तरफ से कोई यदि पत्र लिखे तो उसकी प्रति नासवी कार्यालय को अवश्य भेंजे।

ऐजेन्डा पर चर्चा

- ऐजेन्डा पर चर्चा करतें हुए यह निणर्य लिया गया कि कार्यकारिणी समिति की बैठक का एजेन्डा व प्रस्तावना (यदि हो तो) बैठक के 15 दिन पूर्व कार्यकारिणी समिति को भेज दिया जाए।
- नासवी के आम सभा मे जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे वार्शिक आम सभा से 20 दिन पूर्व कार्यालय द्वारा भेज दिया जायेगा, ताकि बैठक मे केवल रिर्पोट पर चर्चा किया जायेगा । प्रतिवेदन की प्रति बैठक स्थल पर उपलब्ध नहीं होगा।
- आम सभा या मे कार्यकारिणी समिति बैठक का एजेन्डा तय करने हेतु : एक नया प्रस्ताव पारित किया जाय कि प्रत्येक कार्यकारिणी बैठक के पूर्व बैठक का एजेन्डा ड्राफ्ट कर कार्यकारिणी के सदस्यो को भेजा जाय तथा बैठक से एक दिन पूर्व नासवी के पदाधिकारी द्वारा अंतिम रुप दिया जाय।

सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क राशि के विषय में निर्णय–

- जब भी सदस्यता शुल्क के पैसे आये तो उन्हें संस्था के लेटर पैड पर लिखकर प्राप्ती की सूचना दे दी जाए तथा उनके पैसे को सस्पैन्स खाता में डाल दिया जाए जब इनकी सदस्यता सुनिश्चित हो जाए तब उस सदस्यता शुल्क को एकाउन्ट में डाल दिया जाए और उन्हें रशीद दी जाए।
- सभी संगठनों को संबद्धता प्रमाण पत्र तथा नासवी के कार्यकारिणी समिति को पहचान पत्र भेजा जाय।

नासवी की सदस्यता मजबूती पर निर्णय–

- नासवी द्वारा तैयार एक सूचना संग्रह प्रपत्र तैयार किया गया है, जिस सभी सदस्य संगठनों को अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है। इसके साथ हीं वैसे नए संगठन जो नासवी से जुड.ना चाहते हैं उनके लिए यी भी आवश्यक होगा कि वे उक्त प्रपत्र को भी भरकर भेजें।
- जो राज्य मजबूत नहीं है तथा जहां कम मात्रा में वेंडर संगठित है, वहां नासवी को पहल करने की जरूरत है, एवं वैसे राज्य/जिला जो अपेक्षाकृत सुदृढ. है, वे अपना योगदान अपने आसपास के राज्यों/जिलों के वेंडर्स को संगठित करने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए करें।
- नासवी कुछ संस्था को गोद नहीं ले सकती। नासवी के पास कार्यक्रम के लिए बजट है। यदि कोई संगठन कोई गतिविधी कर रहा है तो नासवी से आर्थिक सहयोग ले सकता है।
- कार्यकारणी समिति बैठक के 15 दिन पहले, कुछ टिप्पणी के साथ कार्यकारिणी सदस्यों को नए सदस्यों की सूचि भेज दी जाएगी, अगर उस पर नाकारात्मक टिप्पणी नहीं आई तो उसे पारित माना जायेगा। नये सदस्यों को शामिल करने के लिये उनकी व्यक्तिगत रूप से पहचान जरूरी है साथ ही जो संगठन काम नहीं कर रहा है और अगर कर भी रहा है मगर गलत ढंग से तो वैसे संस्था को शामिल नहीं किया जायेगा।
- सदस्यता बनाने हेतु एक कमिटी बनाई जाए या पूर्व की कमिटी में ही अन्य लोगो को शामिल कर लिया जाए। जो एक दिन का बैठक का वृहद योजना बनाए कि कैसे नासवी में सदस्यता बनाई जाए तथा महिला भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।

सदस्यता आवेदन के संदर्भ में:–

- सदस्यता आवेदन प्रपत्र में सदस्य संगठन का पंजीकरण संख्या व बर्श (यदि हो तो) निश्चित रूप से दर्ज होने चाहिए।
- पॉच सदस्यों की एक जॉच समिति बनायी बनायी गई जो सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करन हेतु दिशा निर्देश बनायगी। ये सदस्य हैं:– गोकुल प्रसाद, चन्द्रप्रकाश सिंह, गजनफर नवाब, भी. महेश्वरन, अनिस फातिमा।
- सभी गैर–पंजीकृत सदस्य संगठनों को पंजीकरण हेतु एक अंतिम पत्र लिखा जाए।
- नासवी से जुड़े हुए जो संगठन सक्रिय नहीं हे तथा उन्होंने अपने सदस्यता शुल्क भी जमा नहीं किया है। उन्हें भी अंतिम बार पत्र लिखा जाय तथा कोई सक्रियता नहीं होने पर 31 मार्च 2010 के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाय। राज्यवार कार्यकारिणी समिति को भी सदस्य संगठनों की सूची भेज दी जाय ताकि समिति के सदस्य राज्यों में भी इसका सत्यापन कर ले।
- जिन सदस्येां ने सदस्यता भाुल्क जमा नहीं किया उन्हें वार्शिक आम–सभा में आमंत्रण नहीं भेजा जाय। इसके लिए भी संगठनों को अंतिम स्मरण पत्र भेजा जाय।
- कार्यकारिणी समिति द्वारा समन्वयक को यह अधिकार दिया गया कि एक अंतिम पत्र के बाद भी यदि संगठन सदस्यता भाुल्क नहीं भेजते तो उन्हें सदस्यता से विमुक्त कर दिया जाए।

सदस्यता पत्र की स्वीकृती पर चर्चा कते हुए निम्न निर्णय लिए गयेः–

आगे से सदस्यता पत्र में विशेष तौर पर पंजीकृत संगठनों को ही शामिल किया जाए, साथ ही संगठन की पंजीकृत संख्या, नियमावली तथा कर्याकारिणी की सूची भी मांगी जाय।

- वर्तमान में सभी सदस्य संठनों को पत्र जारी किय जाय कि वार्षिक आम–सभा में आने से पूर्व वे अपने संगठन की कार्यकारीणी की सूची अपने साथ लेकर आये।
- वार्षिक आम–सभा से पूर्व सभी सदस्यें का वार्षिक सदस्यता शुल्क 2009–10 तक का नासवी कार्यलय में जमा हो जाना चाहिए। तीन वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 का डेटा बेस तैयार होना चाहिए। सम्भवतः नयी कार्य कारिणी के चूनाव में मदद हो सकती है।
- डेटा वेस का प्रारूप इस प्रकार हो।

राज्य का नाम	संगठन का नाम एवं पता	संगठन का प्रकार	सदस्य संख्या	सदस्यता शुल्क	निर्धारित प्रतिनिधि

- शुल्क नहीं देने वो सदस्य संगठन को मताधिकार नहीं होगा।
- नासवी के संविधान को पुर्नवलोकन करने की आवश्यकता है जैसे संविधान से गैर–पंजीकृत सदस्यों की सदस्यता जैसे शब्दों को लोप होना चाहिए। संविधान की प्रति सभी कार्यकारिणी सदस्य को दी तथा सभी लोग संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव 30 जून 2010 तक नासवी कर्यालय को भेज दे ताकि उक्त प्रस्ताव पर आम–सभा में सहमति बनाई जा सके।

किसी गंभीर बिमारी के विषय में निर्णय–

- नासवी एक राष्ट्रीय संगठन है। इस तरह के बहुत केस आयेंगे। नासवी अपील के तौर पर सभी संगठनों को लिखे। संगठन अपने स्तर में मदद करेंगे। नासवी इस क्रिया में शामिल नहीं होगी।
- नासवी को इस तरह के संस्थाओं के पत्ते लगाने चाहिए जो किसी गंभीर बिमारी में मदद करते हैं, जैसे कैंसर फाउन्डेशन या राज्य स्तरीय के संगठन।

नासवी द्वारा आर्थिक सहयोग हेतू निर्णय–

- यदि कोई सदस्य संगठन किसी भी गतिविधि के लिए नासवी से आर्थिक सहयोग के लिए इच्छुक है तो उन्हें नासवी कार्यालय को लिखित अनुमति बजट सहित लेनी होगी।
- नासवी के साथ एक करार किया जायेगा।
- व्यक्तिगत खाते में किसी को भी पैसा स्थानांतरण नहीं होगा। संस्था के नाम से हीं खाता बैंक में खोलना होगा।
- खाता का संचालन दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से होना चाहिए।
- गतिविधि समाप्त हाने के 15 दिनों के अंदर खर्च का हिसाब, बिल, भाउचर,सहित नासवी कार्यालय को भेजना होगा।
- व्यक्तिगत खाते में किसी को भी पैसा स्थानांतरित नहीं किया जायगा। संस्था के (एकाउन्ट) में हीं पैसा स्थानांतरित किया जायगा।

- सभी सदस्य संगठन अपना एक कोष विकसित करें। नासवी इस दिशा में सहयोग करेगी। नासवी केवल अपने सदस्य संगठनों को हीं सहयोग करगी।

कोई भी सदस्य संगठन जो किसी गतिविधी में नासवी से आर्थिक सहयेाग चाहते वे पहले नासवी को प्रस्ताव भेजे तथा उसपर सहमति बन जाने के उपरोंत ही नासवी आर्थिक सहयेाग करेगा। इसमें जो संगठन पहले से नासवी के साथ वित्तीय रि ता बना चूके है उन्हें नासवी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा। अर्थात प्रस्ताव पर सहमति बनाने के बाद नासवी पूरा पैसा ड्राफ्ट के माध्यम से या सदस्य संगठन के एकाउंट में निर्गत करेगा। गतिविधि के 20 दिनों के भीतर सदस्य संगठन को गतिविधि का पूरा ब्यौरा बिल, भाउचर (मूल) इत्यादि नासवी कार्यालय को केवल पंजीकृत डाक से भेजना होगा। या किसी अंकेक्षणकर्ता से पूरा गतिविधि का अंकेकक्षित प्रतिवेदन नासवी को भेजना होगा। साथ ही गतिविधि का का न्यूज पेपर कटिंग, रिर्पोट, प्रतिभागी सूची व अन्य भी संलग्न करना आव यक है।

यात्रा भत्ता भूगतानः–
कार्यकारिणी समिति के बैठक के लिए या सदस्यों को नासवी कार्यालय से ही टिकट भेजा जाए तथा लोकल यात्रा भत्ता का भूगतान कर दिया जाएगा।

वार्शिक आम सभा व अन्यः–

- वार्शिक आम सभा किसी कार्यशाला, मिटींग, सेमिनार व अन्य में भागीदारी करने वाले सदस्य संगठन व सदस्य यदि अपने यात्रा विवरण नासवी कार्यालय को पूर्व से दे दे तो नासवी कार्यालय द्वारा उनका टिकट बनाकर भेज दिया जाएगा ।
- यदि सदस्य ऐसा नहीं कर सकते तो वे स्वयं टिकट बनवा ले तथा गतिविधि समाप्ति के बाद वे अपना पूर्ण विवरण यात्रा टिकट भर कर मूल टिकट के साथ नासवी कार्यालय को भेज दे। नासवी द्वारा उन्हें ड्राफ्ट के माध्यम से या एकाउण्ट नम्बर में रा ि ा निर्गत करवा दी जाएगी।
- उक्त टिकट व यात्रा भत्ता प्रपत्र (भरा हुआ) नासवी कार्यालय को गतिविधि समाप्ति के 20 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। नासवी कार्यालय द्वारा प्रपत्र प्राप्ती के 5 कार्य दिनों के भीतर रा ि ा निर्गत कर दी जाएगी।
- यदि व्यत्तिगत खर्च है तो पैसा संबंधित सदस्य के एकाउण्ट में डाल दिया जाएगा परन्तु एक से ज्यादा सदस्य का भुगतान करने के स्थिति में संगठन के नाम पर ड्राफ्ट भेजा जाएगा। स्थानीय भाड़ा फिक्स कर दिया जाए।

पंजीकरण हेतु आर्थिक मदद में निर्णय–

- नासवी के जो सदस्य किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है उन्हें पंजीकरण हेतु नासवी आर्थिक मदद कर उनका संगठन पंजीकृत करवाये।
- एक मॉडल बॉयलाज बनाकर सभी संगठनों को भेजा जाय। पंजीकरण के पश्चात उन्हें पंजीकरण के दौरान हुए खर्चे के मद में 3000/ रूपये दिये जायेंगे।

कार्यकारिणी के सदस्यों मजबूती पर निर्णय–

- नासवी के कार्यकारिणी के सभी सदस्य इ–मेल पर उपलब्ध हो, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जायगा।
- किसी मीटिंग तथा अन्य कार्यक्रमों में नासवी के तरफ से भागीदारी हेतु प्रतिभागी के चयन अथवा मीटिंगकी सुचना नासवी कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी जाए।

- नासवी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में नासवी के सभी सदस्यों को शामिल होना जरूरी होगा, एवं सभी सदस्यों को अपने द्वारा किये गए कार्य का प्रतिवेदन तैयार कर बैठक में देना होगा ।

- नासवी सदस्य संगठनों का एक संघ है, ना कि कोई दाता संगठन। अतः नासवी की किसी भी बैठक में भागीदारी हेतु सदस्य संगठन के प्रतिनिधियों का कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जा सकता।
- नासवी के कार्यकारिणी समिति बैठक में नासवी में सभी सदस्यो को शामिल होना बहुत जरूरी होगा, एवं सभी सदस्यों को अपने द्वारा किये गए कार्यो का प्रतिवेदन तैयार कर उसे बैठक में लाना होगा।

- कार्यकारी समिति के सदस्यों को लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने चाहिए नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा और नए सदस्यों को अगली बैठक में निर्वाचित किया जाएगा।

- सदस्य संगठन के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये तथा उन्हें मजबूत आधार बनाने में सहयेाग किया जाय। यथा सदस्य संगठनों का पंजीकरण, कार्यकारिणी एवं आम सभा की बैठकों के तारीके विकसीत करने, ट्रेड कमीटी या माकेट कमीटी बनाकर जिम्मेवारियेां का वितरण करना इत्यादि। साथ ही सदस्य संगठनों को गतिविधियों का एक कलेन्डर बनाकर नासवी कायालय द्वारा दिया जाय तथा उनसे प्रतिवेदन भी लिया जाय। उन्हें गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रेरित किया जाय।

समन्वयक समिति

- राज्य स्तरीय समन्वय समिति को समन्वय बनाए रखने के लिए एक टीम गठित की जानी चाहिए ताकि यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या उठे तो इसे समिति द्वारा हल किया जाना चाहिए।
- हर दो से तीन महीने पर राज्य स्तर पर समन्वय समिति की बैठक होनी चाहिए ।
- कार्यकारी समिति के सदस्यों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे पहचान और स्थानीय स्तर पर संगठन केा मजबूत बनाये।
- जिला स्तर पर स्थानीय संगठनों की पहचान और उन्हें नासवी के उद्देश्यों के बारे में बताना और उन्हें नासवी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करना।
- समन्वय समिति के लिए खाता खोला जाना चाहिए। 10,000 रूपये कि राशि बड़े राज्यों जैसे तमिलनाडु ,उत्तर प्रदेश और 5000 रूपये की राशि अन्य राज्यों के समन्वय समिति की बैठक के आयोजन के लिए होना चाहिए।
- परिचर्चा उपरांत इस निश्कर्ष पर पहुंचा गया कि जैसे–जैसे संगठन बढ़ेगे, हमे कुछ प्रोफुशनल की आवश्यकता पड़ेंगी तथा पड़ती है तथा सतही तौर पर भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अतः नासवी को दो माडल अपनाने चाहिए साथ ही कुछ राज्यों में इसे पायलट बेसिस पर प्रयोग भी करन चाहिए।

एक तरीका– नासवी द्वारा पदाधिकारी को को सीधे पैसा भेजा जाय।

दूसरा तरीका– नासवी द्वारा राज्य समन्वय समिति को पैसा भेजा जाय तथा समन्वय समिति द्वारा पदाधिकारी को पैसा दिया जाय।राज्यों में कार्य करने वाले पदाधिकारी राज्य समन्वय समिति को अपना प्रतिवेदन देगे।

- राज्य का चयनः– उड़िसा, राज्स्थान, एवं उत्तरप्रदेश । प्रत्येक 6 महीने पर कमीटी के कार्यो का पूर्नावलोकन किया जायेगा। समन्वय समिति का बैंक खाता खोला जायेगा। तथा नासवी के स्टाफ राज्य समन्वय समिति के प्रति जिम्मेवार होगे।
- कोई भी दाता संगठन किसी बोर्ड के सदस्य को मानदेय देने के लिए पैसा नहीं देता अतः नासवी द्वारा बोर्ड के सदस्यों को मानदेय नहीं दिया जा सकता।
- नासवी द्वारा सदस्यों के पहचान के लिए प्रमाण पत्र भेजे जाते है। नासवी द्वारा कार्यकारिणी समिति को पहचान पत्र दिये जायेगे। साथ ही राज्यों के समन्वय समिति के अध्यक्ष को भी नासवी द्वारा पहचान पत्र दिये जायेगे। समन्वय समिति के अध्यक्ष अन्य सदस्यों को पहचान पत्र जारी करेगें।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

- प्रत्येक कार्यकारिणी के बैठक के बाद प्रेस कॉनफ्रेंस का आयोजन किया जाए।
- नासवी में अन्य असंगठित क्षेत्र मजदूर संगठनों के आंदोलन को शामिल किया जाय तथा उनके साथ शामिल हुआ जाय।
- सोधन सिंह एवं मानुसी संस्था के मुद्दे पर यह बात तय हुई कि आगे से कोई भी सदस्य बगैर कार्यकारिणी से मसविरा किये किसी भी तरह का कानुनी पक्ष एवं कानुनी कार्यवाही नहीं करेंगे।
- नासवी के द्वारा एक ''फाइनेन्सीयल मैनुअल'' तैयार किया गया है, इसे हिन्दी में अनुवाद कर सभी सदस्यों को भेजा जाय।

नासवी की लैगिंक नीति

- नासवी कार्यालय द्वारा लैगिंक नीति को तैयार कर समिति के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई तथ यह तय हुआ कि इस पर नियमावली बनाकर सभी को प्रेशित किया जाय तथा एक जेन्डर गैप रिपोर्ट भी बनाई जाए कि कहां–कहां पर जेन्डर गैप है तथा कहां–कहां पर उसे भरने की आवश्यकता है।

स्ट्रीट नेट कांग्रेस में शामिल या नासवी के तरफ से दल में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए दिशा निर्देशः–

- नासवी से मार्गदर्शन लेकर ही कही जाये की उक्त सम्मेलन या अन्य में नासवी की क्या रणनीति होगी।दल में एक नेतृत्व कर्ता का चुनाव करें तथा उसकी बातें सभी लोग माने तथा आपसी तालमेल कायम रखे।
- अनुसाशित रहे, उपहार, स्थानीय राजनीति/कुटनीति, तथा प्रलोभन से दूर रहे तथा भारतीय संस्कृति को कायम रखे।प्रत्येक सुबह अपने दल के साथ बैठक कर दिन की कार्यवाही पर चर्चा करें।
- वापस आने के बाद वहां के रिर्पोटकी एक प्रति नासवी को अवश्य ही जमा करे।

नासवी में विषेशज्ञों

- नासवी में विषेशज्ञों की समिति बनाने हेतु कई लोगों को आमंत्रित किया गया परंतु वे सभी बहुत व्यस्थ लोग है। अतः ये अपना पूरा समय देने को तैयार नहीं है अतः इन सभी लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल कर समय अनुसार उनकी राय लेने चाहिए तथा धीरे–धीरे अपनी समिति में लाने का प्रयास करना होगा।

राश्ट्रीय या क्षेत्रीय वेंडर मंच पर भागीदारी

- सर्वसम्मती से पारित हुआ कि जो भी सदस्य संगठन नासवी से जुडे है, वो किसी किसी अन्य राश्ट्रीय दूसरे वैसे संगठन से या मंच से नहीं जुडें.गे जो वेंडर्स के जिए कार्यरत हो।
- नासवी से संबद्ध सदस्य/संगठन या उनके प्रतिनिधि किसी अन्य राश्ट्रीय या क्षेत्रीय वेंडर संगठन के सदस्य नहीं हो सकते। साथ ही नासवी से संबद्धता रखते हुए वे स्ट्रीट वेंडर से जुड़े किसी भी मंच पर अपनी भागीदारी नहीं दे सकेंगे। इससे नासवी की मजबूती, राश्ट्रीयता, एकता व आत्म–सम्मान को ठेस पहुंचाती है। साथ ही यह प्रस्ताव भी लाया जाता है कि नासवी की सदस्यता लेते समय संगठनों द्वारा शपथ–पत्र भी भरी जाए तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा भी व्यक्गित रुप से यह शपथ–पत्र भरी जाए।

- कोई भी सदस्य या संगठन यदि उपरौकत प्रस्ताव का उलंघन करते हैं तो उन्हें तुरंत ही नासवी से बाहर कर दिया जाय। यद्यपि प्रताप कुमार साहु का यह पहला मामला है अतः नासवी में इनके योगदान को देखते हुए तथा इन के द्वारा सामुहिक माफी मांग लेने के बाद इन्हें पहली बार माफ कर दिया जाए परंतु आगे से यदि कोई सदस्य यह संगठन ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें बिना किसी बहस व चर्चा के बगैर बाहर कर दिया जाय।